न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 46/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/115

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
बंशीलाल पुत्र श्री शिवराम, जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।	**बनाम**	1. तहसीलदार, परबतसर। 2. भैराराम पुत्र शिवराम, जाति कुम्हार, निवासी रोहिण्डी, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।

अपील अधीन धारा 75 एल.आर.एक्ट अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1078 दिनांक 20.02.2013 तहसीलदार परबतसर वाके सरहद रोहिण्डी के पुराने खसरा नम्बर 386 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 238 रकबा 0.0100 है0, खसरा 239 रकबा 0.6800 है0 व खसरा नम्बर 239/1 रकबा 0.6800 है0

–: निर्णय :–

दिनांकः 09.03.2026

अपीलान्ट की ओर से अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमि के पुराने खसरा नम्बर 386 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा भुमि सरहद रोहिण्डी में अवस्थित है जिसका एक कुटरचित दानपत्र अपीलार्थी से प्रत्यर्थीगण सं0 2 ने अपने पक्ष में सन् 2012 में बिना प्रतिफल के करा लिया। अपीलार्थी ने उक्त भूमि अपनी निजी आय से दिनाँक 03/10/1987 में मांगीलाल पुत्र हरनाथ निवासी रोहिण्डी से खरीद की थी उस दिन से ही अपीलार्थी अपनी खरीदसुदा भुमि पर कच्चे मकान ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित रहकर काश्त कर अपने व अपने बाल बच्चों का पेट पालने लगा तथा अपनी कमाई मेहनत मजदुरी कर उक्त खरीदसुदा जायका पर सन 2008 में एक पक्का मकान बनाया जिसमे आज दिन अपीलार्थी व अपीलार्थी का परिवार रह रहा है। अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 386 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 238 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.6800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 239/1 रकबा 0.6800 हैक्टेयर वाके सरहद रोहिण्डी, पटवारं हल्का रोहिन्डी तहसील परबतसर में अवस्थित हैं, प्रत्यर्थी सं. 2 जो कि पढा लिखा सरकारी अध्यापक है तथा अपीलार्थी का भाई है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को व परिवार के अन्य सदस्यो व दो अन्य भाईयों को बिना बताये ही गुपचुप तरीके से अपीलार्थी की अज्ञानता व अनपढ होने की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए नाजायज फायदा उठाकर अपीलार्थी को मुगालते में रखकर 1/2 भुमि का कुटरचित दानपत्र सन 2012 में करवा कर अपने नाम करवा ली जबकि अपीलार्थी के दो अन्य भाई भी है जिन पर भी अपीलार्थी का स्नेह प्रत्यर्थी सं. 2 के जैसा ही था व आज भी हैं अपीलार्थी यदि स्वैच्छा से दानपत्र करवाता तो सभी तीनो भाईयो के नाम करता। जिससे स्पष्ट है कि उक्त दानपत्र छल व कपट से कुटरचित है। प्रत्यार्थी सरकारी शिक्षक है जिसे यह ज्ञात था कि माह जनवरी 2013 में प्रशासन गांवों के संघ शिविर लगने वाले है प्रत्यार्थी ने मौके की नजाकत व अपीलार्थी की अज्ञानता व अनपढ होने की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए नाजायज फायदा उठाकर अपने [illegible] कुटरचित दस्तावेज तैयार कर नामान्तरण सं. 1045 दिनॉक 05/11/2012 [illegible] प्रशासन गांवों के संघ शिविर रोहिण्डी में फरवरी 2013 में प्रार्थी को मुगालते में रखकर पटवारी व [illegible] कर्मचारीयो से मिली भगत कर प्रार्थी को [illegible] दस्तावेज बताकर बंट[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:05:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

छल/कपट पुर्वक हस्ताक्षर करवाकर बिना मौके की स्थिति जाने व बिना जांच पड़ताल किये विधि विरुद्ध नामान्तरण संख्या 1078 दिनांक 20–02–2013 को तहसीलदार परबतसर द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिससे अपीलार्थी व अपीलार्थी के परिवार के सुखाचार अधिकारों का हनन हो रहा जिससे अपीलार्थी के जायज अधिकार खतरे में पड़े गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपील पेश कर रहे है। अपीलार्थी ने ही सरकारी सहायता से उक्त कृषि भुमि की सिचाई करने के लिए कुआ खुदवाया व बिल भी अप्रार्थीगण के नाम से हैं। तथा अपीलार्थी ही आज दिन तक बिल भरता आ रहा है। उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध होने से अपीलार्थी की ओर से श्रीमान के समक्ष उक्त नामान्तरण के विरूद्ध निम्न आधारो पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत है कि:–तहसीलदार परबतसर द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1078 दिनांक 20–02–2013 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। तहसीलदार परबतसर ने नामान्तरण दर्ज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, श्रीमान तहसीलदार का पारित नामान्तरण संख्या 1078 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं। नामान्तरण संख्या 1078 न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। प्रत्यर्थी ने सन् 2012–13 में प्रशासन गांवों के सघं केम्प में उक्त नामान्तरण करवाने के पूर्व में व बाद आज दिन भी उक्त भुमि पर अपीलार्थी व उसका परिवार ही कब्जा काश्त होकर उक्त भुमि का उपयोग उपभोग कर रहें है। बावजुद प्रत्यर्थी सं. 2 सरकारी अध्यापक होने से व अपीलार्थी की अज्ञानता व अनपढ होने की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए नाजायज फायदा उठाकर अपीलार्थी को मुकालते में रखकर कुटचित दान पत्र अपने पक्ष में करवा कर नामान्तरण दर्ज करवाने के समय ही विभाजन का अंकन करवा लिया, जबकि दानपत्र में विशिष्ट विभाजन के कोई तथ्य अंकित नही है तथा उक्त इंन्द्राज को असली जामा पहनाने के लिए शिविर के बहाने बाले बाले ही गलत बंटवारा कर नामान्तरण दर्ज किया जो विधि विरुद्ध होने से अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपील प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 386 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 238 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.6800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 239/1 रकबा 0.6800 हैक्टेयर वाके सरहद रोहिण्डी, पटवार हल्का रोहिन्डी तहसील परबतसर में दर्ज विभाजन नामान्तरकरण संख्या 1078 दिनांक 20–02–2013 जरिये स्वीकृत तहसीलदार परबतसर को अपास्त कर विधि अनुसार कार्यवाही करवाकर मौके व कब्जे अनुसार नामान्तरण व नक्शे की सही तरमीम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/295 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा तहसीलदार परबतसर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार परबतसर के पत्र क्रमांक भू.अ/2025/3006 दिनांक 17.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार परबतसर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि अपीलार्थी वंशीलाल पुत्र शिवराम के द्वारा प्रत्यर्थीगण भैराराम पुत्र शिवराम के पक्ष में दान पत्र जरिये पंजीयन निष्पादित किया गया था। इस दान पत्र के कूटरचित होने या न होने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। मुताबिक राजस्व रिकार्ड [illegible] लार्थी के अनुसार 03.10.1987 को अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया [illegible] था। बेचाननामें का निष्पादन उपंजीयक कार्यालय परबतसर से किया गया। वर्त[illegible] नवीन खसरा नम्बर 239/1 में पक्का मकान बना हुआ हैं जो [illegible] द्वारा [illegible] गया जिसका कोई दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अपीलार्थी वंशीलाल व प्र[illegible] भैरा राम के 2 अन्य भाई भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:05:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

लेकिन दानपत्र कूटरचित होने या न होने के संबंध में कोई दस्तावेज व साक्ष्यस्वरूप संलग्न नहीं है। पंजीयन की कारवाई उपपंजीयक परबतसर द्वारा निष्पादित की गई है। नामान्तरण संख्या 1045 दिनांक 05.11.2012 उपपंजीयक परबतसर द्वारा पंजीकृत दान पत्र दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया था तथा नामान्तरण संख्या 1078 दिनांक 20.02.2013 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया। कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कुंआ खुदवाया गया हुआ हैं, यह कुंआ किसके द्वारा व किस रकीम के तहत खुदवाया गया इसका कोई साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। तथा बिजली कनेक्शन किस नाम से हैं, यह बिन्दू विधुत विभाग से सम्बन्धित हैं। अपीलार्थी वंशीलाल द्वारा अपने वाद में नामान्तरण संख्या 1078 को विधि विरूद्ध बताया हैं जो यह किस आधार पर बताया गया हैं। अपीलार्थी स्वंय पृष्टि करें।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पत्रावली सुनी गई। तहसीलदार परबतसर से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वंशीलाल पुत्र शिवराम के द्वारा प्रत्यर्थीगण भैराराम पुत्र शिवराम के पक्ष में दान पत्र जरिये पंजीयन निष्पादित किया गया था। मुताबिक राजस्व रिकार्ड व अपीलार्थी के अनुसार 03.10.1987 को अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था। बेचाननामें का निष्पादन उपंजीयक कार्यालय परबतसर से किया गया। पंजीयन की कारवाई उपपंजीयक परबतसर द्वारा निष्पादित की गई है। नामान्तरण संख्या 1045 दिनांक 05.11.2012 उपपंजीयक परबतसर द्वारा पंजीकृत दान पत्र दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया था तथा नामान्तरण संख्या 1078 दिनांक 20.02.2013 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली पर व बहस में कोई ठोस साक्ष्य सबूत/दस्तावेज पेश नही किया है जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलार्थी की खरीदसुदा भूमि पुराने खसरा नम्बर 386 रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 238 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 239 रकबा 0.6800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 239/1 रकबा 0.6800 हैक्टेयर वाके सरहद रोहिण्डी, पटवार हल्का रोहिन्डी तहसील परबतसर में दर्ज विभाजन नामान्तरकरण संख्या 1078 दिनांक 20–02–2013 जरिये स्वीकृत तहसीलदार परबतसर को अपास्त कर विधि अनुसार कार्यवाही करवाकर मौके व कब्जे अनुसार नामान्तरण व नक्शे की सही तरमीम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **09.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09.03.2026

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:05:08 IST
Reason: SelfAttested